न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 88/2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 01.10.2021
फैसला तिथि : 30-12-2021
प्रार्थी :–
जरिये सरपंच , ग्राम पंचायत मुण्डारा (प्रवीण कुमार वैष्णव)
पंचायत समिति, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 30-12-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी प्रवीणकुमार वैष्णव ने बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत, मुण्डारा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत मुण्डारा को आबादी के लिये 35–40 वर्षो पुर्व राजस्व केम्प में आवंटन की गई भूमियो ग्राम मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 397/3, 396, 394, 395 पर कब्जा ग्राम पंचायत मुण्डारा का वक्त आवंटन से चला आ रहा हैं। भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् सैटलमेंट अधिकारियो द्वारा मौके की भौतिक स्थिति के अनुरूप नक्शे में तरमीम नहीं की गई तथा मौका स्थिति के विपरित खसरा नंबर 398 रानी–मुण्डारा रोड पर तरमीम किया गया। जिस रोड पर खसरा नंबर 396 व 397/3 की भूमि के टूकडो से सटता हुआ कदीमी रास्ता पीपल का चबुतरा मौके पर स्थित हैं। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके पर मौजूद खसरा नंबर 396, 397/3 के सटता हुआ कदीमी रास्ता होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया तथा रास्ता को सैटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व नक्शा में भी तरमीम नहीं किया गया। रास्ते के पुर्व दिशा में ग्राम पंचायत द्वारा पुर्व में रहवासीय भू0खण्ड के पट्टे जारी किये हुए हैं। इस प्रकार भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा में गलत तरमीम कर दिये जाने से मौके की भौतिक स्थिति अनुसार खसरा नंबर 395 की तरमीम खसरा नंबर 396 व 397/3 में हो गई हैं। जिससे मौके पर अत्यधिक विवाद उत्पन्न हो गया है, तथा पंचायत में लोगों द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त तरमीम अशुद्धि को सही दर्ज करवाने का निवेदन किया जा रहा है। जिससे यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम शद्धि के लिये प्रस्तुत किया गया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पंचायत प्रस्ताव दिनांक 18.09.2018 की प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.1018, पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण प्रतिलिपी दिनांक 06.08.2018 की प्रतियॉं प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जबाव मय पटवारी हल्का मुण्डारा की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया। जांच रिपोर्ट तैयार करते समय पटवारी हल्का मुण्डारा व तहसीलदार, बाली द्वारा एक मौका नक्शा भी तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया कि खसरा नंबर 396, 396/1, 396/2, 396/3 एवं 397/3 को जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश से आबादी में दर्ज किया गया। उस समय दर्शित प्लान में खसरा नंबर 396 मूल एवं खसरा नंबर 397/3 की कुल भूमि 2.55 हैक्टर को समचौरस (आयताकार) आकृति में दर्शाया गया था, चूॅंकि खसरा नंबर 395 मूल नम्बर है, जिसकी तरमीम का कार्य भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया था जो कि आज भी लट्ठा नक्शा ट्रेस में यथावत् बना हुआ है। मौके पर वर्तमान आबादी भूमि (संपरिवर्तन से) खसरा नंबर 396, 396/1, 96/2, 396/3 एवं 397/3 का कुछ भाग जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित हैं (रकबा 0.21 हैक्टर) भूमि खसरा नंबर 395 में अधिरोपित हैं। तथा खसरा नंबर 397/3 के नक्शे में हरी स्याही से दर्शित भाग में सार्वजनिक प्याऊ,अवाला बना हुआ हैं। तथा कुछ भाग पर पंचायत द्वारा पट्टे काटे गये हैं। खसरा नंबर 397/3 एवं 395 मेंसे होकर 30 फीट चौडा कच्चा मार्ग बना हुआ हैं। यह मार्ग रानी जाने वाली सडक को गांव की आबादी से जोडता हैं। प्याऊ के पास पुराना पीपल का पेड खडा है तथा एक चबूतरा भी बना हुआ हैं। खसरा नंबर 395 रकबा 1.35 हैक्टर कांतिलाल जोगसन, नरेश जोगसन, भूराराम पि0 पदाराम कौम मेघवाल के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। अधिरोपित भूमि को तरमीम शुद्धि **किये जाने पर खसरा नंबर 395 को खसरा नंबर 397 के पश्चिम की ओर आरोपित करना होगा** तथा इससे खसरा नंबर 397 का रेकर्ड अनुसार नक्शे में रकबा अधिक होने पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। अपनी रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड की मौका स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि करना उचित बताया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 88/2021 GCMS No 2021/

अनवान जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा (प्रवीण कुमार वैष्णव) बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण ग्राम पंचायत मुण्डारा की तरफ से राजनैतिक व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत के कार्य कलापो को संपादित करने के लिये ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त है तथा उनके पर्यवेक्षण/नियंत्रण अधिकारी विकास अधिकारी भी पंचायत समिति मुख्यालय पर मौजुद है। प्रार्थना पत्र में मौके पर विवाद के तथ्य प्रकट करते हुये लोगो द्वारा तरमीम शुद्धि के लिये भी आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना उल्लेखित किया गया। हितबद्ध प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा तरमीम शुद्धि के लिये आवेदन पत्र न तो तहसीलदार, बाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं न ही सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। इसके साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नंबर 397 जो कि गोचर की भूमि है, उस खसरा नंबर 397 पर खसरा नंबर 395 निजी खातेदारो का रकबा अधिरोपित करते हुये तरमीम शुद्धि की मांग की जा रही है, जो विधि के प्रावधानो के अनुकूल नहीं होने से प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत, मुण्डारा की मांग अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि किया जाना न्याय संगत नहीं हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत मुण्डारा बाबत् ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 395 को खसरा नंबर 397 के पश्चिम की ओर नक्शे में तरमीम शुद्धि की मांग विधि के प्रावधानो के अनुकूल नहीं होने से प्रकरण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-12-2021 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.